



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276547
CG-DL-E-28092026-276547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 586]
No. 586]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

परिषद् और क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव, 2026, इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाईन माध्यम से

फा.सं. 2. सितम्बर, 2026.—चूँकि 14वीं परिषद् और क्षेत्रीय परिषदों का कार्यकाल 18 जनवरी, 2027 को समाप्त हो जाएगा, 15वीं परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों के गठन हेतु चुनाव निम्नलिखित अधिसूचना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाईन माध्यम से आयोजित किये जाएंगे, जैसा कि नीचे सूचित किया गया है:

- कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 ('अधिनियम') की धारा 9(2)(ए) के साथ पठित कम्पनी सचिव (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 ('नियमावली') नियम 3 एवं 4 तथा अन्य लागू नियमों और कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 ('विनियमावली') के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में परिषद् एवं क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव सम्बंधी विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन वर्ष 2026 में निम्नलिखित समय सीमा के अनुसार किया जाएगा :

कम. सं.	कार्यकलाप	समय, दिवस और दिनांक	माध्यम	स्थान/आयोजन स्थल
1.	नियमावली के नियम 4 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना जारी करना	सोमवार, 28 सितम्बर, 2026	ई-राजपत्र	भारत का राजपत्र
2.	नामांकन पत्र दाखिल करना	बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026 को सायं 6:00 बजे	प्रत्यक्ष/ऑफ लाइन	निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय यानी

	[नियम 4(2)(ए) और 9] और विनियम 115	तक।		आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
3.	नामांकन पत्रों की जांच [नियम 4(2)(बी)]	बुधवार, 4 नवम्बर, 2026 को प्रातः 11:00 बजे।	प्रत्यक्ष/ऑफ लाइन	आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	नामांकन पत्रों को वापिस लेना [नियम 4(2)(सी) और 14]	शनिवार, 14 नवम्बर, 2026 को सायं 6:00 बजे तक।	प्रत्यक्ष/ऑफ लाइन	निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय यानी आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	मतदान केन्द्रों पर मतदान [नियम 4(2)(डी) और नियम 19]	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे एवं गुरुग्राम आदि स्थानों पर दो दिन मतदान होगा। बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार, 17 और 18 दिसम्बर, 2026 को प्रातः 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक। अन्य स्थान: शुक्रवार, 18 दिसम्बर, 2026 को प्रातः 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक।	इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाईन माध्यम	पात्र मतदाताओं द्वारा आवंटित मतदान केन्द्र पर स्वयं उपस्थित होकर मताधिकार का प्रयोग।
6.	रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान [नियम 4(2)(एफ) और नियम 28(1)]	सभी क्षेत्रों में : शुक्रवार 18 दिसम्बर, 2026 को प्रातः 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक।	इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाईन माध्यम	पात्र मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र के अलावा किसी अन्य स्थान से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग।
7.	रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से मतदान करने की अनुमति के लिए आवेदनों की प्राप्ति [नियम 4(2)(ई) और 28]	सोमवार 2 नवम्बर, 2026 को सायं 6:00 बजे तक।	प्रत्यक्ष/ऑफ लाइन	निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय
8.	मतगणना का प्रारंभ [नियम 4(2)(जी) और 32]	शनिवार, 26 दिसम्बर, 2026 को प्रातः 10.00 बजे।	इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाईन माध्यम	आईसीएसआई हाउस, सी.-36, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी)
9.	परिणामों की घोषणा [नियम 4(2)(एच), 35 एवं 36]	शनिवार, 26 दिसम्बर, 2026 या मतगणना समाप्ति के बाद, जो भी स्थिति बाद में हो।	ई-राजपत्र	भारत का राजपत्र (मत-गणना सम्पन्न होने के बाद परिणाम सर्वप्रथम संस्थान की वेबसाइट अर्थात् www.icsi.edu के माध्यम से घोषित किए जाएंगे) इसके बाद, अगले कार्य दिवस पर औपचारिक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी।

2. नियमावली के नियम 9 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से परिषद् के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार होगी:

क्रम.सं.	चुने जाने वाले व्यक्ति	चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1.	अधिनियम की धारा 9(2)(ए) के अंतर्गत परिषद् के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति	15 (पन्द्रह)
2.	अनुसूची 3 के साथ पठित नियम 8 और अनुसूची 1 के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत परिषद् के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति : पूर्वी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र दक्षिणी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र	2 (दो) 5 (पांच) 3 (तीन) 5 (पांच)

3. कंपनी सचिव विनियम, 1982 के अध्याय XII में प्रदान की गई सीमा को छोड़कर, कंपनी सचिव (परिषद् के लिए चुनाव) नियम, 2006 क्षेत्रीय परिषदों के चुनावों पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। एक सदस्य जो पहले किसी भी क्षेत्रीय परिषद् के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह किसी भी क्षेत्रीय परिषद् में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पात्र नहीं होगा।
4. विनियमावली के विनियम 114 के उप-विनियम(1) के साथ पठित विनियम 115 के उप-विनियम(1) के अनुसरण में, विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित सीटें निम्नानुसार होंगी:

क्रम. सं.	क्षेत्रीय परिषद्	चुने जाने वाले व्यक्तियों की सं.	आरक्षण
1.	पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद् — इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।	6 (छह)	ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य के लिए एक-एक सीट आरक्षित
2.	उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद् — इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख शामिल हैं।	12(बारह)	दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक-एक सीट आरक्षित
3.	दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद् — इसमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु एवं तेलंगाना राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप शामिल हैं।	7 (सात)	कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य के लिए एक-एक सीट आरक्षित
4.	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद् — इसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं।	12 (बारह)	गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के लिए एक-एक सीट आरक्षित

5. नियमावली के नियम 9, 10 एवं 11 के अनुसरण में, सदस्य जो योग्य है और संस्थान के परिषद् या क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है, उसे प्रत्यक्ष मोड/ऑफ लाईन माध्यम से जैसा भी मामला हो **फार्म—ए (अनुलग्नक—I)** या **फार्म—बी (अनुलग्नक—II)** के अनुसार निर्धारित फार्म में अपना नामांकन पत्र (पत्रों) को दाखिल करना होगा जिसे निर्वाचन अधिकारी, 'आईसीएसआई हाउस', 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई

दिल्ली-110003 के पास फार्म-सी (अनुलग्नक-III) में दिये गए विवरण तथा फार्म-डी (अनुलग्नक-IV) में घोषणा-पत्र के साथ, तीन पासपोर्ट आकार के फोटो एवं निम्नानुसार शुल्क एवं सुरक्षा जमा राशि के रूप में “दी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया” के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026 को सायं 6.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए:

क्रम. सं.	नामांकन के साथ देय शुल्क/जमा राशि	राशि (रु.)	
		परिषद् के लिए	क्षेत्रीय परिषद् के लिए
1.	शुल्क (नियम 10) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से	50,000 + जीएसटी @18% अर्थात् रु 59,000 /— (मात्र उनसठ हजार रुपये)	45,000 + जीएसटी @18% अर्थात् रु 53,100 /— (मात्र तिरपन हजार एक सौ रुपये)
2.	सुरक्षा जमा (नियम 11) डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से (मूल मतों का 2% हासिल करने के अधीन वापसि योग्य)	20,000 /— रु (मात्र बीस हजार रुपये)	20,000 /— (मात्र बीस हजार रुपये)

स्पष्टीकरण: एक सदस्य परिषद् के लिए दस से अधिक नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है, नामांकन की संख्या चाहे कुछ भी हो, उसे नामांकन-पत्र के साथ “दी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया” के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में केवल 50,000 /—रु. + जीएसटी (59,000 /—रु.) की राशि देनी होगी। एक सदस्य क्षेत्रीय परिषद् के लिए दस से अधिक नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है, नामांकन की संख्या चाहे कुछ भी हो, उसे नामांकन पत्र के साथ “दी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया” के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में केवल 45,000 /—रु. + जीएसटी (53,100 /—रु.) की राशि देनी होगी। एक सदस्य को **प्रत्येक नामांकन के लिए**, विवरण और घोषणा सहित भुगतान के सबूत के साथ नामांकन-पत्र का पूरा सेट जमा करना होगा। ये दस्तावेज दिए गए सम्बन्धित प्रारूपों के अनुसार होने चाहिए।

नियमावली के नियम 11 के अनुसरण में, परिषद् क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों को “दी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया” इंडिया के पक्ष में सुरक्षा जमा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ₹20,000 (बीस हजार रुपये) की राशि का भुगतान करना होगा।

6. नियमावली के नियम 9 के उप-नियम(4) के अनुसरण में, अनुसूची-4 के पैरा(2) के उप-खण्ड(ए) के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित योग्यताएं निर्दिष्ट की गई हैं:
 - ए). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सभी डिग्रीयाँ;
 - बी). भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के प्रमाणित असोसिएट, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अन्तर्गत (दिवाला पेपेवर/पंजीकृत मूल्यांकक) और सनदी शासन संस्थान की व्यवसायिक सदस्यता।
7. नियमावली के नियम 12(1) के अनुसरण में, नामांकनों की जांच के लिए पैनल में निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - क. डॉ. श्री अशोक कुमार मिश्रा, परिषद् में केन्द्र सरकार द्वारा नामित
 - ख. श्री रनधीर कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार — केन्द्र सरकार द्वारा नामित
 - ग. श्री आशीष मोहन, निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान।

नियम 12 के उप-नियम (11) के अनुसरण में, जांच पैनल के निर्णय से सम्बन्धित नोटिस के संचार का तरीका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा।

इसके अलावा, नियम 13 के उप-नियम(1) और नियम 15 के उप-नियम(1) के अनुसरण में, निर्वाचन अधिकारी तुरंत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वैध नामांकन की सूची और नामांकन की अंतिम सूची तैयार करेगा और सभी उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानि ई-मेल के माध्यम से भेजेगा।

8. नियमावली के नियम 6 के उप-नियम(3) के अनुसरण में, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की 15वीं परिषद् और चार क्षेत्रीय परिषदों के लिए चुनाव हेतु विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से मतदान के लिए योग्य सदस्यों की सूची (मतदाताओं की सूची) स्टीमुलेट-पोर्टल (<https://stimulate.icsi.edu>) में सदस्य के खाते के माध्यम विषिष्ट अनुरोध पर 500 + 18%जीएसटी, 590 रुपये (मात्र पांच सौ नब्बे रुपये) की राशि का भुगतान करने पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसमें केवल 'देखने' का विकल्प होगा नकल, डाउनलोड, प्रिन्ट, संपादित और फाइल के रूप में सहेजें जाने जैसी कोई प्रतिलिपीकरण की सुविधाएँ नहीं होंगी। मतदान करने के योग्य सदस्यों की सूची नियम 6 के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.09.2026 या उससे पहले प्रकाशित की जाएगी।
9. नियमावली के नियम 41 के उप-नियम(1) और (2) के अनुसरण में, कोई भी उम्मीदवार, जिसका नाम नियम 15 के तहत नामांकनों की अंतिम सूची में शामिल किया गया है, नीचे निर्दिष्ट राशि से अधिक का खर्च नहीं करेगा और नियम 36 के तहत जारी अधिसूचना; यानी परिणामों की घोषणा की अधिसूचना के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप फार्म—इ (अनुलग्नक—V) में चुनाव के लिए किये गए खर्चों का विवरण दाखिल करेगा:

चुनाव	व्यय की अधिकतम सीमा (रु)
परिषद्	10,00,000 /— (मात्र दस लाख रुपये)
क्षेत्रीय परिषद्	10,00,000 /— (मात्र दस लाख रुपये)

10. नियम 41 के उप-नियम(3) या नियम 42 के उप-नियम(1) के अनुसरण में, अगर कोई सदस्य संस्थान की परिषद् या क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव में नियम 41 के उप-नियम(1) या (2) या नियम 42 के उप-नियम (2), (3) या (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-4 के मद(2) के अंतर्गत परिषद् को बदनाम करने का दोषी माना जाएगा।
11. नियम 42 के उप-नियम (2) एवं (3) के अनुसरण में, एक उम्मीदवार चुनाव के संबंध में विनिर्देशित ढंग के अनुसार केवल एक घोषणा-पत्र या परिपत्र जारी करेगा।
12. नियमावली के नियम 16 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, उम्मीदवारों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के लिए चुनाव आचार संहिता जो कि संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू हो जाएगी और उक्त संहिता को अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग-II के मद(1) के अंतर्गत परिषद का दिशानिर्देश माना जाएगा तथा प्रत्येक उम्मीदवार और उसका/उसकी अधिकृत प्रतिनिधि के लिए इस चुनाव आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है।
13. नियमावली के नियम 6 के उप-नियम(2) के अनुसरण में, मतदाताओं की सूची में प्रकाशित सदस्य का पता ही यह निर्धारित करने के लिए अंतिम होगा कि वह किस तरीके से अपना मतदान कर सकता है, उसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा और मतदान के लिए उसे कौन सा मतदान केन्द्र आवंटित किया जाएगा।
14. नियमावली के नियम 6 के उप-नियम(4) के अनुसरण में, मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की सूची में किसी सदस्य का नाम शामिल करने से उसे चुनाव में मत देने का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता, यह अधिकार नियमों, विनियमों या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा।
15. नियमावली के नियम 6 के उप-नियम(6) के अनुसरण में, निर्वाचन अधिकारी मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों की सूची में किसी भी समय लिपिकीय त्रुटि या चूक को उचित शुद्धि-पत्र जारी करके ठीक कर सकता है।
16. नियमावली के नियम 5 के अनुसरण में, वह सदस्य जिसका नाम 1 जुलाई, 2026 को रजिस्टर में दर्ज है, सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उसका नाम मतदाताओं की सूची के प्रकाशन की तारीख तक रजिस्टर से हटाया न गया हो। उक्त नियम के अनुसार एक पात्र मतदाता का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, 1 जुलाई, 2026 को उसके व्यवसायिक पते के आधार पर

निर्धारित किया जायेगा और यदि रजिस्टर पर व्यवसायिक पता दर्ज नहीं है, तो रजिस्टर में दर्ज आवासीय पता उसके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करेगा।

इसके अलावा, उक्त नियम के अनुसार, भारत के बाहर अपने व्यवसायिक पते वाले पात्र मतदाताओं के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण उनके विदेश जाने से ठीक पहले भारत में पंजीकृत उनके व्यवसायिक पते या सम्बन्धित तिथि पर रजिस्टर में दर्ज आवासीय पता, जो भी बाद में हो, के अनुसार किया जाएगा।

17. नियमावली के नियम 23 के उप-नियम(1) के अनुसरण में, परिषद् द्वारा तय किये गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्वाचन अधिकारी सभी अथवा किसी भी मतदान केन्द्र और मतगणना स्थल या स्थलों के लिए ऐसे चुनाव पर्यवेक्षकों (इलेक्शन ऑब्जर्वर्स) को नियुक्त करेगा, जो कि संस्थान के सदस्य नहीं होंगे। नियुक्त किये गए चुनाव पर्यवेक्षक परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगे।
 - निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने तथा मतगणना में निर्वाचन अधिकारी की सहायता करना;
 - मतदान केन्द्र(ओं) पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की देख-रेख करना;
 - चुनाव की अवधि के दौरान संस्थान/निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी सचिव अधिनियम 1980, विनियमों, नियमों, प्रक्रियाओं, चुनाव आचार संहिता और दिशा-निर्देशों/परामर्शों/निर्देशों का चुनाव से सम्बन्धित सभी पक्षों के द्वारा कड़ाई से और निष्पक्षतापूर्वक पालन किया जाए;
 - निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कर्तव्य।
18. नियमावली के नियम 33 के अनुसरण में, निर्वाचन अधिकारी दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो न तो परिषद् के सदस्य होंगे और न ही चुनाव के लिए उम्मीदवार, वो जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे और मतगणना में आमतौर पर उनकी सहायता करेंगे।
19. नियमावली के नियम 26 के अनुसरण में, किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहने का अधिकार होगा। वह प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के रूप में किन्हीं दो सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, उनमें से **एक समय में केवल एक व्यक्ति** ही उसकी तरफ से उस मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहने का हकदार होगा। इस उद्देश्य के लिए मतदान अधिकारी को सौंपे जाने वाले प्राधिकार पत्र का प्रारूप **फार्म—एफ (अनुलग्नक—VI)** में दिया गया है।
20. नियमावली के नियम 28 के उप-नियम(1) के अनुसरण में, एक पात्र मतदाता जिसका नाम किसी भी मतदान केन्द्र के अन्तर्गत नहीं दिखाया गया है, उसे उक्त नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
21. नियमावली के नियम 28 के उप-नियम(2) के अनुसरण में, कोई पात्र मतदाता जो स्थायी शारीरिक अशक्तता से पीड़ित होने के कारण या स्थायी पते में परिवर्तन के कारण अपना मत देने में असमर्थ है (यदि सदस्य सेवा में है), तो वह **फार्म—जी (अनुलग्नक—VII)** में दिए गये प्रारूप में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से मतदान करने की अनुमति के लिए आवेदन के साथ किसी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी जो शल्य चिकित्सक के पद से कम का नहीं हो के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र, जो ऐसे स्थायी अशक्तता की पुष्टि करता हो या जहाँ सदस्य कार्यरत है उस संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पते में स्थायी परिवर्तन का प्रमाण, 02 नवम्बर, 2026 को शाम 6:00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी को जमा कर सकता है।
22. नियमावली के नियम 28 के उप-नियम(4) के अनुसरण में, संस्थान की परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में, इस नियम के तहत किसी रियायत का दुरुपयोग करता है या रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान के सम्बन्ध में कोई गलत बयानी या गलत सत्यापन करता है तो उसे अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग IV की मद (2) के तहत परिषद् को बदनाम करने वाला माना जाएगा।
23. नियम 34 के अनुसरण में, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को मतगणना के समय खुद उपस्थित रहने या अपनी तरफ से किसी सदस्य को प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित रहने के लिए नियुक्त करने का अधिकार होगा। इस प्रयोजन के लिए निर्वाचन अधिकारी को सौंपे जाने वाले प्राधिकार पत्र का प्रारूप **फार्म—एच (अनुलग्नक—VIII)** में दिया गया है।

24. नियम 5, 19, 21, एवं 28 के अनुसरण में, अनुसूची 2 के भाग (2)(टप्प) के साथ पठित सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी स्थापित मतदान केन्द्रों में से प्रत्येक मतदाता को मतदाताओं की सूची में दर्ज उसके व्यवसायिक पते (यदि व्यवसायिक पता उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ आवासीय पते को आधार माना जाएगा) से निकटतम दूरी के आधार पर मतदान केन्द्र आवंटित किया जाएगा। सम्बन्धित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी स्थापित मतदान केन्द्रों में से, मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि आवंटित किये गये मतदान केन्द्र पर ही अपना मत डालें, ताकि किसी एक ही मतदान केन्द्र पर भीड़ या प्रशासनिक असुविधा की किसी भी संभावना से बचा जा सके। एक पात्र मतदाता, जिसका नाम किसी भी मतदान केन्द्र के अन्तर्गत नहीं दिखाया गया है, को रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। मतदान केन्द्रों की एक सूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
25. नियमावली के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड(बी) के अनुसरण में, इन नियमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु परिषद द्वारा अनुमोदित प्रपत्र निम्नानुसार होंगे:

क्र.सं.	फार्म	अनुलग्नक
1.	परिषद के चुनाव के लिए नामांकन का प्रारूप – फार्म-ए	अनुलग्नक-I में दिया गया है।
2.	क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन का प्रारूप- फार्म-बी	अनुलग्नक-II में दिया गया है।
3.	नियमावली की अनुसूची 4 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 9 के उप-नियम (4) के अनुसार, विवरण – फार्म-सी	अनुलग्नक-III में दिया गया है।
4.	घोषणा प्रपत्र – फार्म-डी	अनुलग्नक-IV में दिया गया है।
5.	परिषद/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव – 2026 के लिए उम्मीदवार द्वारा किये गए खर्चों का ब्यौरा देने के लिए प्रारूप – फार्म-ई	अनुलग्नक-V में दिया गया है।
6.	मतदान केन्द्र में अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमति देने के लिए प्रत्याषी द्वारा चुनाव अधिकारी को सौंपे जाने वाला आवेदन पत्र का प्रारूप- फार्म-एफ	अनुलग्नक-VI में दिया गया है।
7.	रिमोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की अनुमति मांगने हेतु आवेदन का प्रारूप – फार्म-जी	अनुलग्नक-VII में दिया गया है।
8.	मतगणना केंद्र पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने की अनुमति देने हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्राधिकार पत्र का प्रारूप – फार्म-एच	अनुलग्नक-VIII में दिया गया है।
9.	परिषद्/क्षेत्रीय परिषद् के चुनाव – 2026 में नामांकन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप – फार्म-आई	अनुलग्नक-IX में दिया गया है।
10.	टेंडर वोट की अनुमति के लिए सदस्य द्वारा मतदान अधिकारी को सौंपे जाने वाले आवेदन का प्रारूप – फार्म-जे	अनुलग्नक-X में दिया गया है।
11.	घोषणा-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रेषित करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र का प्रारूप – फार्म-के	अनुलग्नक-XI में दिया गया है।

26. कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980, कम्पनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 और कम्पनी सचिव विनियम, 1982 तथा अन्य लागू कानूनों के सम्बन्धित प्रावधान, जिनका उल्लेख यहां नहीं हो पाया है, वे सब के सब इन चुनावों पर लागू होंगे।

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की परिषद के आदेशानुसार
सी.एस. आशीष मोहन, निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, आई.सी.एस.आई.

[विज्ञापन-III/4/असा./355/2026-27]

अनुलग्नक—I



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

परिषद के चुनाव के लिए नामांकन का प्रारूप
फार्म – ए

उम्मीदवार पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (सफेद पृष्ठभूमि सहित) यहाँ चिपकाएँ, तथा नीचे निर्धारित स्थान में अपने हस्ताक्षर करें।	परिषद के चुनाव के लिए नामांकन का प्रारूप (नियम 5,9,10 और 11 देखें)
सदस्य के हस्ताक्षर	

नामांकन पत्र

हम, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अधो-हस्ताक्षरित सदस्य, जिनकी वर्तमान वर्ष के लिए आज की तारीख में अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क (फीस) संबंधी कोई बकाया राशि नहीं है और कैलेंडर वर्ष 2026 की अवधि में अधिसूचित संस्थान की परिषद् के सदस्यों के चुनाव में कंपनी सचिव (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 5 के अंतर्गत मत देने के पात्र होने के कारण सीएस
 को मनोनित करते हैं।

जो संस्थान का फेलो सदस्य है, जिसकी सदस्य संख्या एफसीएस. है जो
 ...भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है और वह कंपनी सचिव (परिषद् के चुनाव) नियमावली, 2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से भरी जाने वाली सीटों में से एक सीट पर चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं।

प्रस्तावक का विवरण	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
दिनांक	

समर्थक का विवरण	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
दिनांक :	

सहमति

मैं,, भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित संस्थान का फेलो सदस्य होने के नाते, वर्तमान वर्ष के लिए मेरे वार्षिक सदस्यता शुल्क के संबंध में आज के दिन मेरे पक्ष में कुछ बकाया नहीं है, तथा चुनाव के लिए खड़ा होने का पात्र होने के कारण कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान आयोजित किए जाने हेतु अधिसूचित चुनाव में उक्त चुनाव क्षेत्र से भरी जाने वाली सीटों में से एक के लिए चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने की सहमति देता/देती हूँ।

मैं, एतद्वारा नामांकन शुल्क के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट नं. दिनांक 59,000/-रु. (50,000 + जीएसटी) "दी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया" के पक्ष में नई दिल्ली में देय है। अथवा संस्थान द्वारा 59,000/-रु के लिए दिनांक को जारी की गई अधिकारिक पावती संख्याकी एक प्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ।

मैं, एतद्वारा सुरक्षा जमा राशि के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट नं. दिनांक 20,000/-रु के लिए जो "दी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया" के पक्ष में नई दिल्ली में देय है। अथवा संस्थान द्वारा 20,000/-रु के लिए दिनांक को जारी की गई अधिकारिक पावती संख्या की एक प्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ।

मैं कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 और कंपनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 और कंपनी सचिव विनियमावली 1982 के प्रावधानों का पालन करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ और कंपनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 की अनुसूची 4 के अनुसरण में विवरण प्रेषित कर रहा हूँ तथा घोषणा पत्र जो इस नामांकन का संलग्नक है के साथ पासपोर्ट आकार की तीन फोटो भी संलग्न करता/करती हूँ।

उम्मीदवार की जानकारीयें	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	

अनुलग्नक—II



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन का प्रारूप
फार्म – बी

उम्मीदवार पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (सफेद पृष्ठभूमि सहित) यहाँ चिपकाएँ, तथा नीचे निर्धारित स्थान में अपने हस्ताक्षर करें।	क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन का प्रारूप (नियम 5, 9, 10 एवं 11 के साथ पठित विनियम 114 एवं 115 देखें)
सदस्य के हस्ताक्षर	

नामांकन पत्र

हम, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अधो-हस्ताक्षरित सदस्य जिनकी वर्तमान वर्ष के लिए आज की तारीख में अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क (फीस) संबंधी कोई राशि बकाया नहीं है, और कैलेंडर वर्ष 2026 में होने वाले संस्थान केभारत क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव में कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 के विनियम 114(1) के साथ पठित कंपनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 के नियम 5 के अंतर्गत मत देने का पात्र होने के कारण सीएस को मनोनित करते हैं, जो..... भारतीय क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से संस्थान का फेलो सदस्य है, जिसकी सदस्य संख्या एफसीएस. है और वह कंपनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 कम्पनी सचिव विनियमावली, 1982 निहित प्रावधानों के अनुसार.... भारत क्षेत्रीय परिषद से भरी जाने वाली सीटों से एक सीट पर चुनाव के लिए उम्मीदवार है।

प्रस्तावक का विवरण	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
दिनांक	

समर्थक का विवरण	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
दिनांक :	

सहमति

मैं,, भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित संस्थान का फेलो सदस्य होने के नाते, वर्तमान वर्ष के लिए मेरे वार्षिक सदस्यता शुल्क के संबंध में आज के दिन मेरे पक्ष में कुछ बकाया नहीं है, तथा चुनाव के लिए खड़ा होने का पात्र होने के कारण कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान आयोजित किए जाने हेतु अधिसूचित चुनाव में उक्त चुनाव क्षेत्र से भरी जाने वाली सीटों में से एक के लिए चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने की सहमति देता हूँ।

मैं, एतद्वारा नामांकन शुल्क के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट नं. दिनांक 53,100/—रु. (45,000 + जीएसटी) “दी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया” के पक्ष में नई दिल्ली में देय है। अथवा संस्थान द्वारा 59,000/—रु के लिए दिनांक को जारी की गई अधिकारिक पावती संख्या की एक प्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ।

मैं, एतद्वारा सुरक्षा जमा राशि के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट नं. दिनांक 20,000/—रु के लिए जो “दी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया” के पक्ष में नई दिल्ली में देय है। अथवा संस्थान द्वारा 20,000/—रु के लिए दिनांक को जारी की गई अधिकारिक पावती संख्या की एक प्रति संलग्न कर रहा/रही हूँ।

मैं कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 और कंपनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 और कंपनी सचिव विनियमावली 1982 के प्रावधानों का पालन करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ और कंपनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली, 2006 की अनुसूची 4 के अनुसरण में विवरण प्रेषित कर रहा हूँ तथा घोषणा पत्र जो इस नामांकन का संलग्नक है के साथ पासपोर्ट आकार की तीन फोटोग्राफ भी संलग्न करता/करती हूँ।

उम्मीदवार की जानकारीयाँ	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	

अनुलग्नक—III



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

नियमावली की अनुसूची 4 के साथ पढ़े जाने वाले नियम 9 के उप-नियम (4) के अनुसार, विवरण
 फार्म – सी

(भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव के लिए प्रत्येक नामांकन प्रपत्र के साथ
 संलग्न किए जाने के लिए)

ए). नाम, सदस्यता संख्या, व्यवसायिक पता और मतदाता की सूची में यथा प्रकाशित क्रम संख्या	:
बी). जन्म तिथि	:
सी). क्या फैलो हैं और वह तारीख जब फैलो बने	:
डी). एसोसिएट सदस्य के रूप में नाम दर्ज होने की तारीख	:
ई). क्या भारत के नागरिक हैं	:
एफ). क्या नामांकन पत्र भरने की तारीख पर आप किसी प्रकार के व्यवसायिक या अन्य किसी कदाचार के दोषी पाए गए और इसके परिणामस्वरूप क्या आपको डांट-फटकारा गया हो या रजिस्टर से आपका नाम हटा दिया गया हो या आपको कभी जुर्माने का दंड भरना पड़ा हो;	:
जी). यदि उपर्युक्त (एफ) का उत्तर 'सकारात्मक' है, तो कृपया जहां लागू हों निम्नलिखित विवरण प्रदान करें, (प्रत्येक कदाचार, जिसके लिए दोषी पाए गए हैं, के लिए पृथक-पृथक ब्योरे होने चाहिए):	:
(i) अपराध जिसके लिए दोषी पाए गए	:
(ii) डांट-फटकार की तारीख	:
(iii) उपरोक्त अयोग्यता के कारण रजिस्टर से नाम हटाने की तारीख	:
(iv) निष्कासन की कुल अवधि	:
(v) निष्कासन की अवधि समाप्त होने की तारीख	:
(vi) क्या निष्कासन प्रथम अनुसूची अथवा द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कदाचार के कारण था	:
(vii) जुर्माना लगाये जाने की तारीख	:
(viii) जुर्माने के दंड की राशि	:
(ix) लगाए गए जुर्माने के दंड का भुगतान करने की तारीख	:
एच). क्या संस्थान के लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त हुए हैं और, यदि हां, क्या संस्थान के लेखापरीक्षक के तौर पर रहने के बाद तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है, साथ ही लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्ति और समाप्ति की तारीखें भी बताएं;	:
आई). यदि (एच) के अंतर्गत अवधि अभी तक समाप्त	:

नहीं हुई है, तो वह तारीख, जब यह समाप्त होगी	
जे). परिषद की पिछली और मौजूदा सदस्यता के विवरण जिसमें संस्थान के अध्यक्ष और/या उपाध्यक्ष के पद भी शामिल हों	:
के). क्या कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) के अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी पद को ग्रहण किये हुए हैं	:
एल). उम्मीदवार अपनी इच्छा से निम्नलिखित के बारे में अपने सम्बन्ध में सूचना दे सकता है : ए. शैक्षणिक योग्यताएँ (सरकार/परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधियाँ, डिप्लोमा, तथा मूल अर्हता प्राप्ति के उपरान्त अर्जित डिप्लोमा और उपाधियाँ) तथा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक संस्थाओं/निकायों की सदस्यता का विवरण शामिल हैं);	:
बी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं में योग्यता पुरस्कार (प्रथम तीन स्थानों तक सीमित);	:
सी. व्यवसाय का ब्यौरा :- (i) रोजगार (पद एवं वर्तमान नियोक्ता के नाम); (ii) अभ्यासरत कम्पनी सचिव (स्व-स्वामित्व या साझेदारी में जिसमें फर्म का नाम भी दिया जाए); (iii) अन्य व्यवसायों/नियुक्तियों के ब्योरे, यदि उपरोक्त (i) और (ii) में शामिल नहीं हैं;	: : :
डी. क्षेत्रीय परिषदों की पिछली और मौजूदा सदस्यता और क्षेत्रीय परिषदों के शाखाओं की प्रबंध समितियों तथा क्षेत्रीय परिषदों और/या क्षेत्रीय परिषदों के शाखाओं के मामले में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और/या कोषाध्यक्ष के पदों का विवरण।	:

उम्मीदवार हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, एफसीएस.....एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरणी में प्रदान की गई सूचना मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं तथा इसमें किसी भी प्रमाणिक तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

..... माह, 2026 की तारीख को सत्यापित।

उम्मीदवार हस्ताक्षर

अनुलग्नक—IV



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

घोषणा प्रपत्र

फार्म – डी

(भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की परिषद/क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के लिए प्रत्येक नामांकन प्रपत्र की मूल प्रति संलग्न की जाए)

मैं, एफसीएस नं. ने आईसीएसआई के परिषद/क्षेत्रीय परिषद के चुनाव 2026 में भाग लेने के लिए नामांकन दाखिल किया है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी(यां)/उपयोगकर्ता आईडी(यां) एवं सोशल मीडिया, वेबसाइट/प्लेटफार्म/ब्लॉग(सं)/ऐप पर खाते हैं।

1.

2.

.....

.....

.....

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास उपरोक्त के अलावा अन्य कोई मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी(यां)/यूजर आईडी(यां) और सोशल मीडिया वेबसाइट/प्लेटफार्म/ब्लॉग(सं)/ऐप पर अन्य कोई खाता नहीं है।

मैं चुनाव अवधि के दौरान अर्थात् चुनाव के परिणाम की घोषणा तक यदि मैं कोई अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट/प्लेटफार्म/ब्लॉग/ऐप पर कोई अन्य मोबाइल नम्बर, ईमेल आईडी/यूजर आईडी एवं एकाउंट उपयोग करता/करती हूँ तो उसकी लिखित सूचना निर्वाचन अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देने का वचन देता/देती हूँ।

उम्मीदवार की जानकारियां	
उम्मीदवार के हस्ताक्षर	
पूरा नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

परिषद/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव – 2026 के लिए उम्मीदवार द्वारा किये गए खर्चों का ब्यौरा देने के लिए प्रारूप
 (नियम 36 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा)
फार्म – ई

निर्वाचन अधिकारी
 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
 आईसीएसआई हाउस
 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड
 नई दिल्ली – 110003

महोदय,

विषय : परिषद/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव – 2026 के लिए किये गये खर्चों का ब्यौरा देना।

कंपनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियम, 2006 के नियम 41 के प्रावधानों के अनुसार, मैं....., जोभारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से परिषद/क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव का उम्मीदवार होने के नाते, एतद्वारा दिसंबर, 2026 में आयोजित संस्थान की परिषद्/क्षेत्रीय परिषदों के उक्त चुनाव के संबंध में मेरे द्वारा किए गए खर्चों का ब्यौरा प्रस्तुत करता/करती हूं।

क्रम सं.	व्यय की मद	राशि (रु.)
1	परिपत्र/घोषणा-पत्र, विजिटिंग कार्ड/पेम्फलेट/हैंड-आउट/पत्र और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की छपाई के लिए खरीदे गए कागज सहित स्टेशनरी की कुल लागत।	
2	छपाई की कुल लागत (उपर्युक्त के अनुसार स्टेशनरी की लागत को छोड़कर)	
3	उपयोग किए गए वाहन की कुल लागत	
4	यात्रा की कुल लागत (हवाई यात्रा, रेल, बस आदि की लागत सहित)	
5	रहने, खाने आदि की कुल लागत	
6	डाक खर्च की कुल लागत	
7	टेलीफोन, मोबाइल, एसएमएस, फैंक्स, ई-मेल आदि की कुल लागत	
8	उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं की गई, किसी अन्य मदों की कुल लागत (कृपया मद का नाम भी निर्दिष्ट करें)	
9	अन्य व्यय (कृपया निर्दिष्ट करें)	
10	कुल (1 से 9)	

मैंने संज्ञान लिया है कि कंपनी सचिव (परिषद के लिए चुनाव) नियम, 2006 के नियम 41 के तहत परिषद द्वारा चुनाव खर्च पर निर्धारित अधिकतम सीमा (सभी संभावित प्रमुखों के तहत कुल मिलाकर) रु. है। इसके अलावा, मैंने चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में ऊपर दिए गए बयान में बताए गए खर्चों के अलावा कोई खर्च नहीं किया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि खर्चों का उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

भवदीय,

उम्मीदवार की जानकारीयाँ	
हस्ताक्षर :	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी :	
दिनांक	

अनुलग्नक—VI



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

मतदान केन्द्र में अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमति देने के लिए प्रत्याशी द्वारा चुनाव अधिकारी को
 सौंपे जाने वाला आवेदन पत्र
 (नियम 26)
 फार्म – एफ

मतदान अधिकारी
 मतदान केन्द्र संख्या.....

महोदय,

विषय : आईसीएसआई चुनाव, 2026 में मतदान केन्द्र के अन्दर अधिकृत प्रतिनिधि को प्रवेश की अनुमति देने का अनुरोध।

मैं,, सदस्यता संख्या, भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से परिषद/क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में उम्मीदवार हूँ।
 मैं एतद्वारा, सदस्यता संख्या, जिनका पता

.....है, को मतदान केन्द्र संख्या पर प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत करता/करती हूँ।
 मैं इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ।

1. स्व-प्रमाणित सदस्य के पहचान-पत्र की प्रति।
 2. मेरे द्वारा सत्यापित अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान-पत्र की प्रति।
- (यदि अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान-पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं है, तो सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र की प्रति)

मैं यह समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि एक समय में, मेरी ओर से दो अधिकृत प्रतिनिधियों में से कोई एक (अकेला व्यक्ति) या मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उक्त मतदान केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं।
 मैं यह भी वचन देता हूँ कि मेरा अधिकृत प्रतिनिधि मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान की माहौल बनाए रखेगा, ऐसा न करने पर या किसी उचित कारण से, मतदान अधिकारी को उक्त अधिकृत प्रतिनिधि को मतदान केंद्र में प्रवेश करने से रोकने का पूर्ण अधिकार होगा।

अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित सदस्य का विवरण	
हस्ताक्षर	
पूरा नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	

मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	

आवेदक/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का विवरण	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

रिमोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की अनुमति मांगने हेतु आवेदन का प्रारूप
 (नियम 28)
फार्म – जी

निर्वाचन अधिकारी,
 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान,
 आईसीएसआई हाउस,
 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड,
 नई दिल्ली – 110003

महोदय,

विषय : आईसीएसआई चुनाव, 2026 में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध

मैं एतद्वारा कंपनी सचिव (परिषद के चुनाव) नियमावली 2006 के नियम 28 के अंतर्गत रिमोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की अनुमति के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ तथा आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं :

सदस्य का विवरण		
1.	पूरा नाम	
2.	सदस्यता संख्या :	
3.	मतदाता सूची में क्रम संख्या, यदि ज्ञात हो :	
4.	आवंटित मतदान केन्द्र का क्रमांक और पता :	
5.	रिमोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की अनुमति मांगने हेतु कारण	
(ए) मतदाताओं की सूची में प्रकाशित पते से मेरा व्यवसायिक पता*, मुझे आवंटित मतदान केन्द्र से 30 किलोमीटर के दायरे से परे, अन्य स्थान पर स्थायी रूप से परिवर्तित हो गया है। मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अपना नया पता संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर में आईसीएसआई सदस्यता पोर्टल (https://stimulate.icsi.edu) पर अपडेट कर दिया है। <i>(नोट: रिमोट मतदान हेतु अनुमति केवल उसी स्थिति में प्रदान की जाएगी, जब नीचे उल्लिखित पता आईसीएसआई सदस्यता पोर्टल में उपलब्ध पते के साथ पूर्णतः मेल खाता हो। आईसीएसआई सदस्यता पोर्टल पर अपडेट किया गया मेरा नया पता निम्नानुसार है:</i> (बी) मैं एक स्थायी अशक्तता से पीड़ित हूँ**, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, जिसके कारण से मैं आवंटित मतदान केन्द्र पर चुनाव की तारीख को अपना वोट नहीं दे पाऊंगा।		

स्थायी अशक्तता के विवरण :

.....

मैं एतद्वारा समझता हूँ कि इस नियम के तहत रियायत का कोई भी दुरुपयोग या इस सम्बन्ध में कोई गलत बयान या गलत सत्यापन, संस्थान की परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में, अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग (IV) की मद(2) के तहत संस्थान की परिषद् को बदनाम करने वाला माना जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

सदस्य के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।

दिनांक :

स्थान :

सदस्य के हस्ताक्षर

*सदस्य जिस संगठन में काम कर रहा है, उसके मूल लेटर हैड पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाए।
 **इस मामले के आवेदन पत्र के साथ मेडिकल प्रेविटशनर, का प्रमाण-पत्र साथ लगाना आवश्यक है जो किसी सरकारी अस्पताल के सर्जन के रैंक से कम न हो, जो सदस्य की स्थायी अशक्तता की पुष्टि करे।

अनुलग्नक—VIII



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

मतगणना केंद्र पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने की अनुमति देने हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले प्राधिकार पत्र का प्रारूप
 (नियम 34)
 फार्म—एच

निर्वाचन अधिकारी
 आईसीएसआई चुनाव, 2026
 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
 आईसीएसआई हाउस
 22, इंस्टीटयुशनल एरिया, लोदी रोड
 नई दिल्ली – 110003

महोदय,

विषय : आईसीएसआई चुनाव, 2026 में मतगणना स्थल पर अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित होने की अनुमति देने का अनुरोध।

मैं,, सदस्यता संख्या,भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से परिषद/क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में उम्मीदवार हूँ।

मैं एतद्वारा, सदस्यता संख्या को मतगणना स्थल पर प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत करता/करती हूँ।

मैं इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ।

1. सदस्य के पहचान-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की)
2. सदस्य के पहचान-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (अधिकृत प्रतिनिधि की)

कृपया उपरोक्त सदस्य को मतगणना स्थल पर मेरे अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहने की अनुमति दें।

मैं यह समझता/समझती हूँ और स्वीकार करता/करती हूँ कि एक समय में, मुझे या मेरी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि (अकेले व्यक्ति) को मतगणना स्थल पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मेरी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि मतगणना केन्द्र पर शांतिपूर्ण मतदान का माहौल बनाए रखेगा, ऐसा न होने पर या किसी उचित कारण से, निर्वाचन अधिकारी/पर्यवेक्षक को मतगणना केन्द्र पर उक्त अधिकृत प्रतिनिधि के प्रवेश करने से रोकने का पूर्ण अधिकार होगा।

अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तावित सदस्य का विवरण	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	

दिनांक :	

आवेदक/ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का विवरण	
हस्ताक्षर:	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	

अनुलग्नक—IX



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India

IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE

Statutory body under an Act of Parliament

(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

परिषद्/क्षेत्रीय परिषद् के चुनाव में नामांकन वापस लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप
(नियम 14)
फार्म—आई

निर्वाचन अधिकारी
 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
 आईसीएसआई हाउस
 22, इंस्टीटयुशनल एरिया, लोदी रोड
 नई दिल्ली — 110003

महोदय,

विषय : आईसीएसआई चुनाव, 2026 में नामांकन वापस लेना।

कंपनी सचिव (परिषद् के चुनाव) नियम, 2006 के नियम 4 और नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार, मैं,
जो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से परिषद्/क्षेत्रीय परिषद् के
 चुनाव के लिए एक उम्मीदवार हूँ, इसके द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेता/लेती हूँ।

अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा भुगतान किये गए नामांकन शुल्क के 50% (50 प्रतिशत) एवं सुरक्षा जमा की पूर्ण राशि
 नियमानुसार वापस कर दी जाए।

उम्मीदवार का विवरण	
उम्मीदवार के हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	

अनुलग्नक—X



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

टेंडर वोट की अनुमति के लिए सदस्य द्वारा मतदान अधिकारी को सौंपे जाने वाले आवेदन का प्रारूप
 (अनुसूची 6)
 फार्म—जे

मतदान अधिकारी
 मतदान केन्द्र संख्या.....

महोदय,

विषय : आईसीएसआई चुनाव, 2026 में टेंडर वोट की अनुमति के लिए आवेदन ।

आपके संज्ञान में लाया जाता है कि मेरा नाम मतदाताओं की सूची में दिखाई नहीं दे रहा है अथवा मेरा नाम किसी अन्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाताओं की सूची में दिखाई दे रहा है।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि वर्तमान वर्ष के लिए देय वार्षिक सदस्यता शुल्क के सम्बन्ध में आज की तारीख में मुझ पर कुछ भी बकाया नहीं है और मैं भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करने के योग्य हूँ। मैं इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ।

1. सदस्य का पहचान पत्र
2. अन्य दस्तावेज (कपया निर्दिष्ट करें)

मैं समझता हूँ कि अगर मुझे मतदान करने की अनुमति भी दी जाती है, तो मतों की गिनती से पहले निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत देने की मेरी पात्रता की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के नतीजों के आधार पर, मत स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

उम्मीदवार का विवरण	
हस्ताक्षर	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	

मतदान अधिकारी की सिफारिशें

सदस्य के अनुरोध पर मेरी टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ा जा सकता है)

.....

.....

.....

.....

.....

सदस्य को टेंडर वोट जमा करने की अनुमति प्रदान की जा रही है जिसे नियमों के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

(मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर)

मतदान अधिकारी का नाम:

मतदान केन्द्र संख्या:

अनुलग्नक—XI



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

घोषणा-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रेषित करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र का प्रारूप
 (नियम 42)
 फार्म—के

निर्वाचन अधिकारी
 आईसीएसआई चुनाव, 2026
 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
 आईसीएसआई हाउस
 22, इंस्टीटयुशनल एरिया, लोदी रोड
 नई दिल्ली — 110003

महोदय,

विषय : आईसीएसआई चुनाव, 2026 – घोषणा-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना

मैं क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से परिषद/क्षेत्रीय परिषद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार हूँ। निमावली के नियम 42 के अनुसरण में, आपके अभिलेखों (रिकॉर्ड) के लिए मैं अपने घोषणा-पत्र की एक प्रमाणित प्रति संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि नियमावली के नियम 42 के उप-नियम 3(ई) की अपेक्षानुसार, संलग्न घोषणा-पत्र जारी होने के 15 दिनों के अन्दर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को भेज दिया गया है।

मैं समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि अगर संस्थान की परिषद के चुनाव के संबंध में मुझे चुनाव नियमों के नियम 42 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया तो सीएस अधिनियम, 1980 की पहली अनुसूची के भाग IV की मद(2) के अंतर्गत मुझे संस्थान की परिषद की प्रतिष्ठा को बदनाम करने वाला माना जाएगा।

धन्यवाद सहित,

भवदीय,

आवेदक/चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का विवरण	
हस्ताक्षर:	
नाम :	
सदस्यता संख्या :	
पता :	
मोबाइल नंबर :	
ईमेल आईडी:	
दिनांक :	

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th September, 2026

ICSI ELECTIONS TO THE COUNCIL AND THE REGIONAL COUNCILS, 2026,**THROUGH****ELECTRONIC/ ONLINE MODE**

F. No. 2 of September, 2026.—WHEREAS the duration of the 14th Council and the Regional Councils shall expire on 18th January, 2027, the Elections for the constitution of the 15th Council and four Regional Councils shall be held through electronic/ online mode, as notified hereunder:

In pursuance of Section 9(2) (a) of the Company Secretaries Act, 1980 (hereinafter 'the Act') read with Rules 3 and 4 and other applicable Rules of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 (hereinafter 'the Rules') and the relevant provisions of the Company Secretaries Regulations, 1982 (hereinafter 'the Regulations'), the timelines for various activities for the conduct of elections to the Council and Regional Councils in the year, 2026, shall be as under:

Sl. No.	Activity	Time, Day and Date	Mode	Place / Venue
1	Issue of notification for the purposes of Rule 4 of the Rules.	Monday, the 28th September, 2026.	e-Gazette	Gazette of India
2	Filing of nominations [Rules 4 (2) (a) & 9] and Regulation 115	Not later than 6:00 PM on Wednesday, the 21st October, 2026	Physical/ Offline	Office of the Returning Officer i.e. ICSI House, 22 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003
3	Scrutiny of nominations [Rule 4 (2) (b)]	Wednesday, the 4th November, 2026 at 11.00 AM	Physical/ Offline	ICSI House, 22 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003
4	Withdrawal of nominations [Rules 4(2) (c) and 14]	Not later than 6.00 PM on Saturday, the 14th November, 2026.	Physical/ Offline	Office of the Returning Officer i.e. ICSI House, 22 Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003
5	Voting at Polling booth [Rule 4 (2) (d) and Rule 19]	Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Pune and Gurugram having two days election: Thursday and Friday 17th and 18th December, 2026 from 8.00 AM to 8.00 PM Other Places: Friday, the 18th December, 2026 from 8.00 AM to 8.00 PM	Electronic / Online Mode	Franchise to be exercised by the eligible voters in person at the allotted Polling Booths
6	Remote electronic voting [Rule 4 (2) (f) and Rule 28 (1)]	All Regions: Friday, the 18th December, 2026 from 8.00 AM to 8.00 PM	Electronic / Online Mode	Franchise to be exercised by the eligible voters remotely from any location other than Polling Booth
7	Receipt of applications for permission to vote through remote electronic voting [Rules 4(2) (e) and 28]	Monday, the 2nd November, 2026, upto 6.00 PM	Physical/ Offline	Office of the Returning Officer

8	Commencement of counting of votes [Rules 4(2) (g) and 32]	Saturday, the 26th December, 2026 at 10.00 AM	Electronic / Online Mode	ICSI House, C-36, Institutional Area, Sector-62, Noida (U.P.)
9	Declaration of results [Rules 4(2) (h), 35 and 36]	Saturday, the 26th December, 2026 or after counting is over, whichever is later.	e-Gazette	Gazette of India (After counting, the results will first be declared through the website of the Institute i.e. www.icsi.edu. Thereafter, the Gazette Notification shall be published on working day)

2. In pursuance of sub-rule (1) of Rule 9 of the Rules, the number of persons to be elected to the Council from different regional constituencies shall be as under:

Sl. No.	Persons to be elected	No. of Persons to be elected
1	Persons to be elected to the Council under Section 9(2)(a) of the Act	15 (Fifteen)
2	Persons to be elected to the Council under Schedule 3 read with Rule 8 and Schedule 1 read with Rule 3 from:	
	Eastern India Regional Constituency	2 (Two)
	Northern India Regional Constituency	5 (Five)
	Southern India Regional Constituency	3 (Three)
	Western India Regional Constituency	5 (Five)

3. Except to the extent provided in Chapter XII of the Company Secretaries Regulations, 1982, the Company secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 to be applicable on the Elections to the Regional Councils mutatis mutandis. A member who has been elected as Chairman of any of the Regional Councils in the past, to not be eligible to file nominations for contesting election to any of the Regional Councils.

4. In pursuance of sub-regulation (1) of regulation 115 read with sub-regulation (1) of regulation 114 of the Regulations, the number of persons to be elected to different Regional Councils and reservation for seats for various States and Union Territories shall be as under:

Sl. No.	Regional Council	No. of Persons to be elected	Reservation
1	Eastern India Regional Council - Comprising the States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura and West Bengal.	6 (Six)	One seat each reserved for the States of Odisha and West Bengal.
2	Northern India Regional Council - Comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Uttarakhand, Union Territories of Chandigarh, Delhi, Jammu & Kashmir, Ladakh	12 (Twelve)	One seat each reserved for the States of Delhi Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh.

3	Southern India Regional Council - Comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Keralam, Tamil Nadu and Telangana and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Puducherry and Lakshadweep.	7 (Seven)	One seat each reserved for the States of Karnataka, Keralam, Tamil Nadu and Telangana
4	Western India Regional Council - Comprising the States of Chattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Goa and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu.	12 (Twelve)	One seat each reserved for the States of Gujarat, Madhya Pradesh, and Maharashtra

5. In pursuance of Rules 9, 10 and 11 of the Rules, a member who is eligible and desirous to stand for election to the Council or a Regional Council of the Institute shall file nomination(s) through physical mode/ offline mode in the Form-A, placed at Annexure- I or in Form-B placed at Annexure-II , as the case may be, so as to reach the Returning Officer, at 'ICSI House' 22, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003, not later than 6.00 PM on Wednesday , the 21st October, 2026 along with the statement in Form-C placed as at Annexure-III and Declaration in Form- D placed at Annexure IV, three passport sized photographs and proof of payment of fees and deposits by Demand Draft in favour of "The Institute of Company Secretaries of India", as under:

Sl. No.	Fees / Deposits payable along with nomination	Amount (Rs.)	
		For Council	For Regional Council
1	Fees (Rule 10) (Through Demand Draft)	50,000/- (Fifty Thousand only) + GST @18% (i.e. Rs. 59,000/- (Fifty Nine Thousand Only)	45,000/- (Forty-Five Thousand Only) + GST @18% (i.e.Rs. 53,100/-) (Fifty Three Thousand and One Hundred Only)
2	Security Deposit (Rule 11) (Through Demand Draft) Refundable subject to securing 2% of original votes)	20,000/- (Twenty thousand only)	20,000/- (Twenty thousand only)

Clarification: A member may file any number of nominations not exceeding ten (10) for the Council and irrespective of the number of nomination(s) he has to pay a sum of Rs. 50,000/- +GST (Rs. 59,000/-) by Demand Draft in favour of "The Institute of Company Secretaries of India" along with the nomination. A member may file any number of nominations not exceeding ten (10) for the Regional Council and irrespective of the number of nomination (s) he has to pay a sum of Rs. 45,000/-+GST (Rs.53,100/-) payment of nomination fee by Demand Draft in favour of the Institute of Company Secretaries of India along with the nomination. A Member shall file the complete set of Nomination Form including Statement and Declaration as per format given at respective Annexures, for each set of Nomination Forms, along with the proof of payment.

Pursuant to Rule 11 of the Election Rules, the Security Deposit of Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand Only) is to be paid through Demand Draft in favour of the Institute of Company Secretaries of India by the candidates standing for elections of the Council as well as the Regional Council.

6. In pursuance of sub-rule (4) of Rule 9, the following qualifications are specified for the purpose of sub-clause (a) of Para (2) of Schedule 4:

a. All degrees awarded by the universities recognized by the University Grants Commission and Government of India;

b. Certified Associate Indian Institute of Banking & Finance, Professional Membership of The Institute of Chartered Accountants of India, The Institute of Cost Accountants of India, The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional/Registered Valuer) and The Chartered Governance Institute.

7. In pursuance of Rule 12(1) of the Rules, the Panel for scrutiny of nominations shall comprise as under:

- a. Dr. Ashok Kumar Mishra, Government Nominee on Council, and
- b. Shri Randhir Kumar, Under Secretary to Government of India- Nominated by the Central Government
- c. CS Asish Mohan, Returning Officer & Secretary, The Institute of Company Secretaries of India.

In pursuance to the sub-rule (11) of the Rule 12, the mode of communication of notice pertaining to the decision of the Scrutiny Panel shall be through electronic mode.

Further, in pursuance to the sub-rule (1) of the Rule 13 and sub-rule (1) of Rule 15, the Returning Officer shall forthwith prepare a list of valid nominations and final list of nominations for each constituency and send to all the candidates through electronic means i.e. e-mail.

8. In pursuance of sub-rule (3) of Rule 6 of the Rules, the list of members eligible to vote (list of voters) from the various constituencies for elections to the 15th Council and the four Regional Councils of the Institute of Company Secretaries of India shall be provided through Member's Account in STIMULATE Portal (<https://stimulate.icsi.edu>), upon specific request and upon payment of amount of Rs.500/- + GST @18% i.e. Rs. 590/- (Rupees Five Hundred and Ninety Only) through online mode having only 'View' option with no duplication features like copy, download, print, edit and saved as file. The list of members eligible to vote under the provisions of Rule 6 shall be published on or before 28.09.2026.

9. In pursuance of sub-rules (1) and (2) of Rule 41 of the Rules, a candidate, whose name has been included in the final list of nominations under Rule 15, shall not incur an expenditure in excess of the amount as specified hereunder and shall file an account of expenses incurred for the election in the Form E is placed at (Annexure V) within fifteen (15) days of the notification issued under Rule 36 (i.e. notification of the declaration of results):

Election	Ceiling on Expenditure (Rs.)
Council	10,00,000/- (Rupees Ten Lakh only)
Regional Council	10,00,000/- (Rupees Ten Lakh only)

10. In pursuance of sub-rule (3) of Rule 41 or sub-rule (1) of Rule 42 of the Rules, a member shall be deemed to have brought disrepute to the Council under Item (2) of Part IV of the First Schedule of the Act if, in connection with an election to the Council or Regional Council(s) of the Institute, he is found to have contravened the provisions of sub-rules (1) or (2) of Rule 41 or sub-rules (2), (3) or (4) of Rule 42.

11. In pursuance of sub-rules (2) and (3) of Rule 42 of the Rules, a candidate shall issue only One manifesto or circular in relation to the election in the manner specified therein.

12. In pursuance of sub-rule (2) of Rule 16 of the Rules, the Election Code of Conduct approved by the Council for candidates and their authorized representatives and published on the website of the Institute, shall come into force from the date of issue of this notification and this Code shall be deemed to be a guideline of the Council under item (1) of Part II of the Second Schedule of the Act and it is obligatory for each candidate and his/her authorised representative to comply with this Election Code of Conduct.

13. Pursuant to Rule 6(2) of the Rules, the address of the member published in the list of voters shall be final for determining the manner in which he shall be entitled to cast his vote, the constituency and the allotment of polling booth to which he shall belong for the purpose of casting his vote.

14. Pursuant to Rule 6(4) of the Rules, the inclusion of the name of a member in the list of members eligible to vote shall not confer an absolute right to vote at the election which shall be subject to other provisions of the Rules, Regulations or the Act.

15. Pursuant to Rule 6(6) of the Rules, the Returning Officer may rectify a clerical mistake or omission in the list of members eligible to vote at any time by issue of a suitable corrigendum.

16. In pursuance of Rule 5 of the Rules, a member whose name is borne on the Register as on 1st July, 2026, shall be eligible to vote in the election from the respective regional constituency provided that his name has not been removed from the Register on the date of publication of the list of voters. As per the said rule, the regional constituency of an eligible voter shall be determined on the basis of his professional address as on 1st July, 2026 and if professional address is not borne on the register, residential address borne on the register shall determine the regional constituency.

Further, as per the said rule, the regional constituency of eligible voters having their professional address outside India shall be determined according to their professional address in India registered immediately before they went abroad or the residential address in India borne on the register on the relevant date, whichever is later.

17. In pursuance of Rule 23(1) of the Rules, the Returning Officer shall appoint such number of election observers, who shall not be members of the Institute, for all or any of the polling booths and for counting venue or venues, as may be deemed appropriate by him to perform following duties as decided by the Council.

- To assist the Returning Officer in the conduct of free and fair polls and counting of Votes;
- To oversee the efficient and effective management of the electoral process at the polling booth(s);
- To act as the eyes and ears of the Institute/Returning Officer during the period of the election and to ensure that the Company Secretaries Act 1980, Regulations, Rules, Procedures, Instructions, Election Code of Conduct and guidelines/advisories/directives related to elections are strictly and impartially complied with by all concerned;
- Any other duty as may be assigned by the Returning Officer.

18. In pursuance of Rule 33 of the Rules, the Returning Officer may appoint two or more persons who are neither members of the Council nor candidates for election to act as scrutinisers and to assist him generally in counting the votes.

19. In pursuance of Rule 26, a candidate for election from a constituency shall be entitled to be present at the polling booths in that constituency. He may appoint any two members as his authorised representatives for each polling booth, only one of whom shall be entitled to be present at a time on his behalf at that polling booth. The format of letter of authority to be handed over to the polling officer for the purpose given at Form -F is placed at Annexure VI.

20. Pursuant to Rule 28(1), an eligible voter whose name is not shown under any polling booth shall be permitted to vote through remote electronic voting subject to conditions prescribed in the said rule.

21. Pursuant to Rule 28(2), an eligible voter who is unable to cast his vote by reason of his suffering from permanent infirmity or in case of a permanent change in address in case the member is in service may submit an application for permission to vote through remote electronic voting in the Form G placed at Annexure VII along with medical certificate issued by a medical practitioner not below the rank of a Surgeon of any Government Hospital, confirming such permanent infirmity or proof of permanent change in address signed by the authorized personnel of the organization where the member is employed, to the returning officer latest by Monday, the 2nd November, 2026 upto 6:00 PM.

22. In pursuance of Rule 28(4) of the Rules, any misuse of the concession under this rule or any misstatement or false verification with regard to voting by remote electronic mode shall be deemed to have brought disrepute to the Council under item (2) of Part IV of the First Schedule of the Act if, in connection with an election to the Council of the Institute.

23. In pursuance of Rule 34, a candidate for election shall be entitled to be present in person or to appoint a member as representative to be present on his behalf at the time of counting of votes. The format of letter of authority to be handed over to the returning officer is in Form H placed at Annexure VIII.

24. In pursuance of Rules 5, 19, 21 and 28 read with clause (2) (vii) of the Schedule 2 of the Rules, among all the established polling booths in the concerned regional constituency, the Polling booth shall be allotted in terms of distance from the professional address (if professional address is not available then, residential address shall be considered) of voters in the list of voters. Among all the polling booths in the concerned regional constituency, the voters are encouraged to exercise their franchise at the allotted polling booth only, to avoid any chance of overcrowding or administrative inconvenience at a single polling booth. However, the E-voting portal has the capability to allow the Voter to cast the vote from any polling booth within the same Regional Constituency. An eligible voter, whose name is not shown under any Polling Booth, shall be permitted to vote by remote electronic voting. A list of Polling Booths has been published on the website of the Institute.

25. Pursuant to clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2, “approved form” (approved by the Council) to be used for specific purpose under these Rules are as under:

1. Nomination form for Election to the Council. Form-A, placed at Annexure- I.
2. Nomination form for Election to Regional Councils. Form-B, placed at Annexure- II.
3. Statement pursuant to sub-rule (4) of Rule 9 Read with Schedule 4 of the Election Rules., Form-C placed at Annexure- III.
4. Declaration, Form-D placed at Annexure- IV.

5. Form of application for providing the expenses incurred by the candidate for election to the council/ regional councils-2026, FORM-E placed at Annexure-V.
 6. Form of application to be submitted by the contesting candidate to polling officer for allowing his authorised representative in the polling booth Form-F, placed at Annexure- VI.
 7. Form of application seeking permission to vote by remote electronic mode Form-G placed at Annexure- VII.
 8. Form of application of letter of authority to be submitted by the contesting candidate to the returning officer for allowing his authorised representative at the counting centre, Form-H placed at Annexure- VIII.
 9. Form of application for withdrawal of candidature for election to the council / regional council, Form-I placed at Annexure- IX.
 10. Form of application to be submitted by a member to Polling Officer for allowing tender vote, Form-J placed at Annexure- X.
 11. Form of letter to be submitted by the contesting candidates to the returning officer for forwarding the certified copy of manifesto, Form-K placed at Annexure- XI.
26. The relevant provisions of the Company Secretaries Act, 1980, the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 and the Company Secretaries Regulations, 1982 and other applicable laws, though not specified herein, shall apply to these elections.

By order of the Council of the Institute of Company Secretaries of India

CS ASISH MOHAN, Returning Officer and Secretary of the ICSI

[ADVT.-III/4/Exty./355/2026-27]



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

NOMINATION FORM FOR ELECTION TO THE COUNCIL

(FORM A)

Affix a Passport Size Photograph of the Candidate with White Background and sign in the space given below	NOMINATION FORM FOR ELECTION TO THE COUNCIL (See Rules 5, 9, 10 and 11)
Signature of Candidate	

NOMINATION

We, the undersigned Members of the Institute of Company Secretaries of India, not being in arrears this day in respect of our respective annual membership fee till the current year and being eligible to vote under Rule 5 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 in the election of members to the Council of the Institute notified to be held during the calendar year 2026, do hereby nominate CSwho is a Fellow Member of the Institute having Membership No. FCS-..... belonging to India Regional Constituency, as a candidate for election to one of the seats to be filled up from India Regional Constituency in accordance with the provisions contained in the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006.

Details of the Proposer	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Date	

Details of the Seconder	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Date	

CONSENT

I,, being a Fellow Member of the Institute belonging to the India Regional Constituency, not being in arrears this day in respect of my annual membership fee for the current year, and being eligible to stand for election agree to stand as a candidate for election to one of the seats to be filled up from the said constituency in the election notified to be held during the calendar year 2026.

I enclose herewith a demand draft No..... dated for Rs. 50,000/- +GST (Rs. 59,000/-) drawn on Bank in favour of 'The Institute of Company Secretaries of India', payable at New Delhi towards Nomination Fee OR a copy of the Official Acknowledgement bearing No. dated for Rs..... issued by the Institute.

I enclose herewith a demand draft No..... dated for Rs.20,000/- (Rupees Twenty thousand only) drawn on Bank in favour of 'The Institute of Company Secretaries of India', payable at New Delhi towards Security Deposit OR a copy of the Official Acknowledgement bearing No. dated for Rs..... issued by the Institute.

I agree to abide by the provisions of the Company Secretaries Act, 1980, and the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, and forward herewith the statement pursuant to schedule 4 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, as annexed to this Nomination Form along with three passport size photographs.

Details of the Candidate	
Signature	
Name	

Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

NOMINATION FORM FOR ELECTION TO THE REGIONAL COUNCILS
(FORM B)

Affix a Passport Size Photograph of the Candidate with White Background and sign in the space given below	NOMINATION FORM FOR ELECTION TO THE _____ INDIA REGIONAL COUNCIL (See Regulations 114 and 115 read with Rules 5, 9, 10 and 11)
(Signature of the Candidate)	

NOMINATION

We, the undersigned members of the Institute of Company Secretaries of India, not being in arrears this day in respect of our respective annual membership fee for the current year and being eligible to vote under Rule 5 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, read with Regulation 114 (1) of the Company Secretaries Regulations, 1982 in the election of members to the India Regional Council of the Institute to be held during the calendar year 2026, do hereby nominate CS FCS No. who is a Fellow Member of the Institute belonging to India Regional Constituency, as a candidate for election to one of the seats to be filled up for India Regional Council in accordance with the provisions contained in the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 and the Company Secretaries Regulations, 1982.

Details of the Proposer	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Date	

Details of the Seconder	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Date	

C O N S E N T

I,, being a Fellow Member of the Institute belonging to the India Regional Constituency, not being in arrears this day in respect of my annual membership fee till the current year, and being eligible to stand for election agree to stand as a candidate for election to one of the seats to be filled up for the said Regional Council in the election notified to be held during the calendar year 2026.

I enclose herewith a demand draft No..... dated for Rs. 45,000/- + GST (Rs.53,100/-) drawn onBank in favour of 'The Institute of Company Secretaries of India', payable at New Delhi towards Nomination Fee OR a copy of the Official Acknowledgement bearing No. dated for Rs.....issued by the Institute.

I enclose herewith a demand draft No..... dated for Rs.20,000 (Rupees Twenty thousand only) drawn onBank in favour of 'The Institute of Company Secretaries of India', payable at New Delhi towards Security Deposit OR a copy of the Official Acknowledgement bearing No. dated for Rs.....issued by the Institute.

I agree to abide by the provisions of the Company Secretaries Act, 1980, the Company Secretaries (Election to Council) Rules, 2006 and the Company Secretaries Regulations, 1982, and forward herewith the statement pursuant to Schedule 4 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 as annexed to this nomination form along with three passport size photographs.

Details of the Candidate	
Signature	
Name	
Membership No.	

Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

STATEMENT PURSUANT TO SUB-RULE (4) OF RULE 9 READ WITH SCHEDULE 4 OF THE ELECTION
 RULES

(FORM-C)

(To be annexed with each set of Nomination Forms for Election to the Council / Regional Council of the Institute of Company Secretaries of India).

Name, Membership No., Professional Address and voter's serial number as published in the List of Voters	
b. Date of birth	
c. Whether Fellow and the date on which became Fellow	
d. Date of Enrolment as an Associate member	
e. Whether citizen of India	
f. Whether found guilty of any professional or other misconduct and consequently whether he has been reprimanded or the name has been removed from the Register or has been awarded penalty of fine as on the date of nomination;	
g. If the answer to (f) above is in affirmative, please provide the following details, wherever applicable (separately for each misconduct for which found guilty):	
the offence for which found guilty	
the date of reprimand	
the date from which the name was removed on account of above disqualification from the Register	
the total period of removal	
the date on which the period of removal expires	

whether the removal was on account of misconduct falling under the First Schedule or Second Schedule	
the date on which the penalty of fine was awarded	
amount of penalty of fine	
the date on which the payment was made for penalty of fine awarded;	
h. Whether appointed as the auditor of the Institute and, if so, whether a period of three years had already expired after he has ceased to be the auditor of the Institute, along with dates of appointment and cessation as auditor;	
i. If the period under (h) has not yet expired, the date on which it shall expire	
j. Details of past and present membership of the Council including the Office of the President and/or Vice-President of the Institute	
k. Whether holding a post under the Central or State Government as per Section 9 (3) of the Company Secretaries Act, 1980	
l. The candidate may provide at his option the information concerning the candidate in respect of the following: (a) Academic qualifications (diplomas including post qualification diploma(s) and degrees recognised by Government/Council and membership of professional bodies recognized by the Council);	
b) Merit awards (limited upto first three positions) in the examinations of recognised universities and the examinations conducted by the Institute;	
c) Particulars of occupation: - Employment (designation with name of present employer) Company Secretary in Practice (sole proprietor or in partnership or Limited Liability Partnership including the name of the firm. Particulars of other occupation/ engagement, if not covered by (i) and (ii) above;	

(d) Past and present membership of Regional Councils and Managing Committees of Chapters of Regional Councils and office of Chairman, Vice-Chairman, Secretary and/or Treasurer in the case of Regional Councils and/or Chapters of Regional Councils.	
--	--

Signature of the Candidate

VERIFICATION

I,.....,

FCSdo hereby verify that the information provided in the foregoing statement are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing relevant has been concealed thereof.

Verified on this.....day of2026.

Signature of the Candidate



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

DECLARATION

(FORM D)

(To be annexed in original to each set of the Nomination Forms for election to the Council / Regional Council of the Institute of Company Secretaries of India).

I,, FCS No..... has filed nomination to contest Election-2026 to the Council/ Regional Council of ICSI. I declare that I am having following mobile number(s), email ID(s) / user ID(s) and accounts on social media website / platform / blogs / app.

1.

2.

.....

.....

I also declare that I am not having any other mobile number(s), email ID(s) / user ID(s) and accounts on social media website / platform / blogs / app., other than mentioned above.

I undertake to inform the Returning Officer in writing within 24 hours, in case I use another mobile number(s), email ID(s) / user ID(s) and accounts on social media website / platform / blogs / app. during the election period i.e. till the date of declaration of result of election.

Signature of the Candidate	
Name in Full	
Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail Id	
Date	day of, 2026



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

FORM OF APPLICATION FOR PROVIDING THE EXPENSES INCURRED BY THE CANDIDATE FOR ELECTION TO THE COUNCIL/ REGIONAL COUNCILS-2026

[To be submitted within fifteen days of issue of notification under Rule 36]

(FORM-E)

The Returning Officer

The Institute of Company Secretaries of India
 ICSI House
 22, Institutional Area, Lodi Road
 New Delhi - 110 003

Sir,

Re: Filing of Account of Expenses incurred for Election to Council/ Regional Councils 2026.

In accordance with the provisions of Rule 41 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, I, _____, a candidate for Election to the Council/ Regional Council from _____ Regional Constituency, hereby file an account of expenses incurred by me in connection with the said election to the Council/ Regional Councils of the Institute held in December, 2026.

Sl. No	Item of Expenditure	Amount (Rs.)
1	Total Cost of Stationery including paper purchased for printing circular/manifesto, Visiting Cards/Pamphlets/ Hand-out/Letters and the like.	
2	Total Printing cost (excluding stationery cost as above).	
3	Total cost of vehicle used	
4	Total Travel cost (Including cost of air travel, train, bus, etc.)	
5	Total cost of stay, food etc.	
6	Total cost of Postage.	
7	Total cost of Telephone, Mobile, SMS, Fax, E-mail and the like.	
8	Total cost of any other items not covered by the above. (Please specify the names of items also)	
9	Other expenses (Please specify)	
10	Total (1 to 9)	

I have noted that the ceiling fixed by the Council under Rule 41 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 on election expenses is (in aggregate under all possible heads) Rs. _____/- . Further, I have not incurred any expenditure as a candidate for the election other than those stated in the statement above.

I declare that the aforesaid statement of expenses is true to the best of my knowledge and belief.

Yours faithfully,

Details of the Candidate	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

FORM OF APPLICATION TO BE SUBMITTED BY THE CONTESTING CANDIDATE TO POLLING OFFICER FOR ALLOWING HIS AUTHORISED REPRESENTATIVE IN THE POLLING BOOTH

(FORM F)

[Rule 26]

The Polling Officer

Polling Booth No.....

Sir,

Sub.: Request for allowing Authorised Representative inside the Polling Booth - ICSI Elections, 2026

I,, Membership No. am a contesting candidate for Election to the Council/ Regional Council from the India Regional Constituency.

I hereby authorise, Membership No.having address at
 at Polling Booth No.

I am enclosing herewith a copy of the following documents:

Copy of Self-attested Member's Identity Card.

Copy of Authorised Representative's Identity Card attested by myself.

(In case copy of Authorised Representative's Identity Card is not available, copy of Photo Identity Card issued by Government authorities)

I hereby understand and acknowledge that at a time, either of the two authorized representatives (Single person) on my behalf or me in personal capacity shall be allowed at the said Polling booth.

I also undertake that my authorized representative shall maintain the peaceful voting decorum at the polling booth, failing which or for any appropriate reason, the Polling officer shall have full discretion to restrict the entry of the said authorized representative in the polling booth.

Details of the Member who is proposed as the Authorized Representative	
Signature	
Name	
Membership No.	

Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	

Details of the Applicant/ Contesting Candidate	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

FORM OF APPLICATION SEEKING PERMISSION TO VOTE BY REMOTE ELECTRONIC MODE
(RULE 28)
(FORM G)

Returning Officer

The Institute of Company Secretaries of India

ICSI House

22, Institutional Area, Lodi Road

New Delhi 110 003

Sir,

Subject: Request for Grant of Permission to Vote by Remote Electronic Mode - ICSI Election, 2026.

I hereby apply for permission to vote by remote electronic mode under Rule 28 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006 and give below the necessary particulars:

1.	Full name	
2.	Membership No.	
3.	Serial No. in the list of voters, if known	
4.	Serial No. and address of the allotted polling booth	
5.	Reason for seeking permission to vote by remote electronic mode	

(a) there has been a permanent change in my professional address* from the address published in the list of voters to another place beyond a radius of 30 kilometres from the polling booth allotted to me. I hereby declare that I have updated my new address in the Register of Members of the Institute on ICSI Membership Portal (<https://stimulate.icsi.edu>) (Note: Permission to Remote voting shall only be granted when below provided address matches with the address available on ICSI Membership Portal). The new address as updated in the ICSI Membership Portal is as under:

(b) I am suffering from a permanent infirmity **, detail/particular of which are given below on account of which I shall not be able to exercise my vote on the date of election at the polling booth allotted to me.

Details/Particulars of permanent infirmity.

I hereby, understand that any misuse of the concession under this rule or any mis-statement or false verification in this behalf shall be deemed to have brought disrepute to the Council under item (2) or Part IV of the First Schedule of the Act if, in connection with the election to the Council of the Institute.

Date :

Place :

Signature of the Member

VERIFICATION

I declare that the particulars given above are correct to the best of my knowledge and belief.

Date:

Place:

Signature of the Member

*duly certified by an authorized person on the Letter Head (Original) of the organization where the member is employed.

**The application in this case must be supported by a certificate from a medical practitioner, not below the rank of a surgeon in any Government Hospital, confirming such permanent infirmity.

ANNEXURE-VIII



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

FORM OF APPLICATION OF LETTER OF AUTHORITY TO BE SUBMITTED BY THE CONTESTING CANDIDATE TO THE RETURNING OFFICER FOR ALLOWING HIS AUTHORISED REPRESENTATIVE AT THE COUNTING CENTRE

(FORM-H)

[Rule 34]

The Returning Officer

ICSI Elections, 2026

The Institute of Company Secretaries of India

ICSI House

22, Institutional Area, Lodi Road

New Delhi - 110 003

Sir,

Sub. : Request for allowing Authorised Representative at the venue of counting of votes - ICSI Elections, 2026

I,, Membership No., am a contesting candidate for Election to the Council/ Regional Council from the Regional Constituency.

I hereby authorise, Membership No., at the venue of counting of votes:

I am enclosing herewith a copy of the following documents:

Self-attested copy of Member's Identity Card (of the Contesting Candidate)

Self-attested copy of Member's Identity Card (of the Authorised Representative)

Kindly allow the aforesaid Member as my authorised representative at the venue for counting of votes.

I hereby understand and acknowledge that at a time, either me or authorized representative (Single person) on my behalf shall be allowed at the counting venue.

I also undertake that the authorized representative on my behalf shall maintain full decorum at the counting venue, failing which or for any appropriate reason, the Returning officer/ Observer shall have full discretion to restrict the entry of the said authorized representative at the counting venue.

Details of the Authorized Representative	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	

Details of the Applicant/ Contesting Candidate	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

**FORM OF APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE FOR ELECTION TO THE
 COUNCIL / REGIONAL COUNCIL**

(FORM- I)

[Rule 14]

The Returning Officer

The Institute of Company Secretaries of India

ICSI House

22, Institutional Area, Lodi Road

New Delhi - 110 003

Sir,

Re: Withdrawal of Nomination - ICSI Elections, 2026

In accordance with the provisions of Rule 4 and Rule 14 of the Company Secretaries (Election to the Council) Rules, 2006, I, _____, a candidate for Election to the Council/ Regional Council from _____ Regional Constituency, hereby withdraw my candidature.

It is requested to refund the fifty percent of the Nomination fee and full security deposit paid by me, as per rules.

Details of the Candidate	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

**FORM OF APPLICATION TO BE SUBMITTED BY A MEMBER TO POLLING OFFICER FOR
 ALLOWING TENDER VOTE**

[Schedule 6]

FORM J

The Polling Officer

Polling Booth No.....

Sir,

Sub.: Request for allowing Tender Vote - ICSI Elections, 2026

It is brought to your kind notice that my name is not appearing in the List of Voters OR my name is appearing in the List of Voters pertaining to another Regional Constituency.

I declare that I am not in arrears this day in respect of my annual membership fee for the current year and I am eligible to vote for the _____, India Regional Constituency. I am enclosing herewith a copy of the following documents:

Member's Identity Card

Other documents (please specify)

I understand that even if I am allowed to vote, my eligibility to vote shall be reviewed by the Returning Officer before the counting of votes and depending on the outcome of the review, the vote may be accepted or rejected.

Details of the Member	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	

Recommendations by the Polling Officer

My observations on the request of the Member are as under : (Additional page may be added if required)

.....

.....

.....

The Member is being allowed to submit his tender vote which may be verified by the Returning Officer, as per rules.

(Signature of the Polling Officer)

Name of the Polling Officer

Polling Booth No.



भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
 IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
 Statutory body under an Act of Parliament
 (Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

FORM OF LETTER TO BE SUBMITTED BY THE CONTESTING CANDIDATES TO THE RETURNING OFFICER FOR FORWARDING THE CERTIFIED COPY OF MANIFESTO

(FORM K)

[Rule 42]

The Returning Officer
ICSI Elections, 2026
The Institute of Company Secretaries of India
ICSI House
22, Institutional Area, Lodi Road
New Delhi - 110 003

Sir,

Sub. : Submission of Certified Copy of Manifesto - ICSI Elections, 2026

I am a contesting candidate for Election to the Council/ Regional Council from the _____ Regional Constituency.

In pursuance to Rule 42 of the Election Rules, I am enclosing herewith a certified copy of my Manifesto for your records.

I hereby declare that as required by sub rule 3(e) of Rule 42 of the election rules, the attached Manifesto is sent to the Returning officer by speed post/ registered post within 15 days of its issue.

I understand and acknowledge that I shall be deemed to have brought disrepute to the Council under item (2) of Part IV of the First Schedule of the CS Act, 1980 if in connection with an election to the Council of the Institute, I am found to have contravened the provisions of the Rule 42 of the election rules.

Thanking you,

Yours faithfully,

Details of the Contesting Candidate	
Signature	
Name	
Membership No.	
Address	
Mobile No.	
E-Mail id	
Date	